

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०१०९/आ०-१-४०/२०१६/स्वा०/पटना,दिनांक

/डा० सुबोध कुमार सिंह,

तत्कालीन सिविल सर्जन नालंदा द्वारा सनय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण डा० अरूण कुमार संविदा चिकित्सक प्रा० स्वा० केन्द्र हरनौत (जो अब सेवा में नहीं है) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित हो गई। जिसके कारण क्रिमिनल मिस्लेनियस सं० १७९३१/२०१५ में सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय में विभाग को प्रतिकूल स्थिति का सामना पड़ा। उपर्युक्त आरोपों के लिए डा० सुबोध कुमार सिंह से विभागीय पत्राक ६५९(९) दिनांक २७.६.१६ द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसका प्रत्युत्तर डा० सिंह ने दिनांक ०१.०७.२०१७ को सनर्पित किया।

संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत डा० सुबोध कुमार सिंह तत्कालीन सिविल सर्जन, नालंदा संप्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां को निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(क) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: १३७(७)

/स्वा०, पटना, दिनांक:

०६/०८/२०१८

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले एवं ह०) बिहार पटना / अवर सचिव वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं पटना प्रमंडल पटना/पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/सिविल सर्जन नालंदा/पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० सुबोध कुमार सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन नालंदा संप्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी २, ३, ४, ९, एवं १० का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


नागेन्द्र प्रसाद
अवर सचिव